PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2003/श्रावण 3, 1925
No. 122] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2003/SRAVANA 3, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जुलाई, 2003

सं. टीएएमपी/64/2002-केपीटी.—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास की 401 से 600 बीएचपी क्षमता परास वाली लाँचों की दरों की समीक्षा के संबंध में कांडला पत्तन न्यास के प्रस्ताव को, संलग्न आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/64/2002-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास — आवेदक

आदेश

(जुलाई 2003 के 8वें दिन पारित)

यह प्रकरण कांडला पत्तन न्यास की 401 से 600 बीएचपी क्षमता परास की लाँचों की दरों की समीक्षा के लिए कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है।

2. केपीटी के दरमान को अपने आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा संशोधित कर दिया गया था, जो 17 अप्रैल, 2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। संशोधित दरमान में, केपीटी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर, 401-600 बीएचपी की क्षमता वाली लाँचों के भाड़ा प्रभार सम्मिलित नहीं किए गए थे।

3.1 केपीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित कारण बताए हैं :

(i) असावधानीवश, दो लाँचों, यथा, एम. एल. सूरजबारी और एम. एल. सागरिका की क्षमताएं गलती से 2 × 234 बीएचपी और 2 × 235 बीएचपी के स्थान पर क्रमश: 2 × 235 बीएचपी और 2 × 176 बीएचपी सूचित की गई थीं। इसलिए, 401 से 600 बीएचपी का एक ऐसा पायदान भी मौजूद है, जिसके लिए केपीटी के वर्तमान दरमान में कोई दर निर्धारित नहीं की गई थी।

(ii) प्राधिकरण ने दिनांक 12 मई, 2000 और 14 फरवरी, 2001 के अपने आदेशों के द्वारा अर्थात् केपीटी के सामान्य संशोधन आदेश से पहले क्रमश: एम. एल. सूरजबारी और एम. एल. सागरिका की दरों को, अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उसने प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन अस्थाई व्यवस्था के रूप में तदर्थ आधार पर उन्हीं दरों को, जो निम्नानुसार हैं, अपना लिया है :—

क्रम सं.	लाँच का नाम	क्षमता	दर प्रति घंटा या उसका भाग	
			रुपये	अम. डालर
1.	एम. एल. सूरजबारी	2 × 234 बी एच पी	2863/-	67.67
2.	एम. एल. सागरिका	2 × 235 बी एच पी	4519/-	163.19

3.2 केपीटी ने 400 से 600 बीएचपी क्षमता वाली लाँचों के लिए विदेशगामी और तटीय पोतों के विषय में क्रमश: 126.09 अमरीकी डालर और रु. 3815/- प्रति घंटा या उसके भाग के आधार पर दर लगाने का प्रस्ताव किया है।

4. अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, केपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया था।

5. इस प्रकरण में केपीटी परिसर में 10 जून, 2003 को संयुक्त सुनवाई हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, केपीटी और संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध हैं। प्राप्त की गई टिप्पणियों के अंश और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्क प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये विवरण हमारे वैबसाइट www. tariffauthority.org पर भी उपलब्ध होंगे।

7. केपीटी ने संयुक्त सुनवाई में फलोटिंग क्राफ्टों की सभी श्रेणियों के लिए वर्तमान दरों की समीक्षा के लिए और संशोधित प्रस्ताव 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की थी। केपीटी द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव की मुख्य बातें नीचे संक्षेप में दी जा रही हैं :—

(i) क्राफ्टो और लाँचों का बीएचपी आधार पर वर्गीकरण पुन: किया गया है। प्रस्तावित दरें उन दरों पर आधारित हैं जो प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क के पिछले सामान्य संशोधन के समय अनुमोदित की गई थी। एम. एल. सूरजबारी और एम. एल. सागरिका लाँचों के लिए जो अब 401-600 बीएचपी के संशोधित पायदान पर आती हैं, वही दरें लागू की हैं जो इसने अपने मूल प्रस्ताव में 401-600 बीएचपी के पायदान के लिए प्रस्तावित की थी।

(ii) अग्निशामक क्राफ्ट और जल नौका "भीमसेन" की दरों को अपरिवर्तित रखा गया है।

(iii) प्रत्येक वर्ग के लिए प्रस्तावित दरें निम्नानुसार है :—

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	दर	
			तटीय पोत (रु. में)	विदेश गामी पोत (अम. डालर में)
ए	क्राफ्टस :			
	200 बीएचपी तक	प्रति घंटा या उसका भाग	1024.00	34.58
	201 से 400 बीएचपी तक		3000.00	100.00
	401 से 1500 बीएचपी तक		3815.00	126.09
	1501 से 2000 बीएचपी तक		10,000.00	475.00
	2000 बी एच पी से ऊपर		13,500.00 (न्यूनतम रु. 40500/- के अधीन)	500.00 (न्यूनतम 1500 आम. डालर के अधीन)
बी	अग्निशमन क्राफ्ट	8 घंटों का प्रत्येक खंड या उसका भाग	38,680.00	1841.17
सी	जल-नौका "भीमसेन"	प्रति घंटा या उसका भाग	3410.00	162.32

8. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :—

(i) केपीटी के दरमान के पिछले सामान्य संशोधन से पहले अलग-अलग क्राफ्टों के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लोटिंग क्राफ्टों के भाड़ा प्रभार निर्धारित किए गए थे। जैसा कि इस प्रणाली को बहुत तर्कसंगत व्यवस्था नहीं पाया गया, इस प्राधिकरण ने केपीटी को सलाह दी कि वह अलग-अलग क्राफ्टों के आधार के बजाए क्षमता के आधार पर भाड़ा प्रभार प्रस्तावित करे। बाद में, केपीटी द्वारा ऐसी ही तर्कसंगतता प्रस्तावित की गई और केपीटी के दरमान के पिछले सामान्य संशोधन के समय प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ii) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संशोधित दरमान में, क्राफ्टों को समुचित क्षमता परास के अन्तर्गत वर्गीकृत कर, निर्धारित दरें इससे पहले अलग-अलग क्राफ्टों के लिए अनुमोदित दरों के औसत पर आधारित हैं। सच तो यह है कि केपीटी ने 401-600 बीएचपी क्षमता परास में कोई क्राफ्ट बताया ही नहीं। जैसाकि इस परास में, प्रदत्त सूचना के अनुसार, कोई क्राफ्ट था ही नहीं, इसलिए उसका भाड़ा प्रभार निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठा। केपीटी ने अब स्वीकार किया है कि उसने एम.एल. सूरजबारी और एम.एल. सागरिका की क्षमताएं गलत सूचित की थीं, जो वास्तव में 401-600 बीएचपी की क्षमता परास में आती है। केपीटी का प्रस्ताव इस त्रुटि को ठीक करने के लिए है।

(iii) जैसाकि 401-600 बीएचपी क्षमता परास में दो क्राफ्ट उपयोग में हैं और संशोधित दरमान में इनके लिए कोई दर नहीं है, केपीटी इन दो अलग-अलग लाँचों के लिए निर्धारित पूर्व-संशोधित दरों पर ही निर्भर रहा। पत्तन द्वारा सामना की गई परिस्थितियों में, उसका वह

तरीका अनुचित नहीं पाया गया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो, इस प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग क्राफ्टों के लिए अधिसूचित दरों को, फ्लोटिंग क्राफ्टस की क्षमता परास पर आधारित भाड़ा-प्रभारों के निर्धारण वाले संशोधित दरमान की अधिसूचना से अधिक्रमित कर दिया गया है। पहले स्पष्ट की गई परिस्थितियों की दृष्टि से, केपीटी को, इस प्राधिकरण द्वारा 401-600 बीएचपी के लिए संशोधित दर निर्धारण करने तक, पूर्व संशोधित दरों को ही लागू करना होगा। इसीलिए केपीटी ने एम.एल. सूरजबारी और एम.एल. सागरिका के पूर्व संशोधित प्रशुल्क के आधार पर तदर्थ दरें लगाने की अस्थाई व्यवस्था लागू करने के प्रति अनुसमर्थन के रूप में अनुमोदन मांगा है। जहां एम.एल. सागरिका के लिए अपनाई गई तदर्थ दर, इस प्राधिकरण द्वारा पहले अनुमोदित की गई पूर्व संशोधित दर के आधार पर है, वहीं एम.एल. सूरजबारी के लिए तटीय दर इस प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुरूप नहीं पाई गई। एम.एल. सूरजबारी के लिए दर निर्धारित करने वाले दिनांक 12 मई, 2000 के अपने आदेश के माध्यम से इस प्राधिकरण ने निर्धारित किया था कि तटीय पोतों को, विदेशगामी पोतों के लिए निर्धारित भाड़ा प्रभारों का 30% छूट मिलनी चाहिए। केपीटी ने इसके द्वारा अपनाई गई तदर्थ व्यवस्था में, तटीय पोतों को मिलने वाली छूट संबंधी शर्त निकाल दी। यह प्राधिकरण एम.एल. सूरजबारी के लिए तटीय पोत दरों के विषय में एक परिष्करण के अधीन, केपीटी द्वारा एम.एल. सूरजबारी और एम.एल. सागरिका अपनाई गई दरों का अनुसमर्थन करता है।

(iv) जैसाकि जीसीसीआई द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है कि केपीटी द्वारा 401-600 बीएचपी के लिए मूल रूप से प्रस्तावित दर, "600 बीएचपी से ऊपर" की क्षमता वाली लांचों के लिए निर्धारित दरों से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त यदि 401-600 बीएचपी के अधीन लाए जाने वाली किसी अन्य पायदान में से एम.एल. सूरजबारी और एम.एल. सागरिका को अभी बाहर रखना है तो अन्य पायदानों के लिए दरों में भी परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए, केपीटी को सलाह दी गई थी कि वह लांचों का वर्गीकरण तर्कसंगत ढंग से पुन: तैयार करे और औसत लेते हुए विभिन्न क्षमता परासों के लिए दरें प्रस्तावित करे। केपीटी ने इस प्रकार का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें इसने क्षमता परासों को तर्कसंगत बनाया है और सभी टग्स और लांचों को इकट्ठा कर दिया है।

(v) वर्तमान दरमान के संदर्भ से, प्रस्तावित पुन: वर्गीकरणें की '200 बीएचपी', '201-400 बीएचपी', '1501-2000 बीएचपी' और '2000 बीएचपी से ऊपर' की क्षमता परास में दरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। केपीटी द्वारा अलग-अलग क्राफ्टों की उपलब्ध करवाई गई क्षमता पर और इस प्राधिकरण द्वारा उनके लिए पहले निर्धारित दरों पर विचार करते हुए 401-1500 बीएचपी की पुन: वर्गीकृत क्षमता परास में टग्स और लांचों के लिए औसत दरें, विदेशगामी और तटीय पोतों के लिए जैसाकि केपीटी ने प्रस्तावित की थी, क्रमश: 126.9 अम. डालर और रु. 3815 के स्थान पर क्रमश: 121.67 अम. डालर और रु. 3110.44 आती है। जैसाकि क्षमता समूहों के पुन: वर्गीकरण के लिए औसत दर का सिद्धांत अपनाया गया है, 401-1500 बीएचपी के लिए प्रस्तावित दर के संदर्भ में केपीटी का प्रस्ताव संशोधित किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान करता है :—

(i) इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के माध्यम से अनुमोदित संशोधित दरमान लागू करने की तिथि से इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि तक, इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/2/98/केपीटी, दिनांक 12 मई, 2000 और टीएएमपी/61/2000 केपीटी, दिनांक 14 फरवरी, 2001 के माध्यम से अधिसूचित दरों के आधार पर क्रमश: एम.एल. सूरजबारी और एम.एल. सागरिका के लिए भाड़ा प्रभार लगाना।

(ii) भविष्य में, इस आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से केपीटी के दरमान के अध्याय-IV की अनुसूची 6 को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित करना :

"6. पोर्ट फ्लोटिंग क्राफ्टों के उपयोग के लिए प्रभारों की अनुसूची

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	दर	
			तटीय पोत (रु. में)	विदेशगामी पोत (अम. डालर में)
1	2	3	4	5
ए	क्राफ्टस :			
	200 बीएचपी तक	प्रतिघंटा	1024.00	34.58
	201-400 बीएचपी तक	या	3000.00	100.00
	401-1500 बीएचपी तक	उसका	3110.44	121.67
	1501-2000 बीएचपी तक	भाग	10,000.00	475.00
	2000 बीएचपी से ऊपर		13,500.00 (न्यूनतम रु. 40500 के अधीन)	500.00 (न्यूनतम 1500 अम.

1	2	3	4	5
				डालर के अधीन;
बी	अग्निशामक क्राफ्ट	8 घंटों का प्रत्येक खंड या उसका भाग	38,680.00	1841.17 अम. डालर
सी	जल-नौका "भीमसेन"	प्रतिघंटा या उसका भाग	3410.00	162.32 अम. डालर

अ.ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03-असा.]